जिला फाजिल्का (पंजाब)

2. शालु सिहाग पुत्री सुरजीत कुमार जाति जाट निवासी बाडीवाला तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)

3. श्रीमान तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0) --: प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर. टी. ए. बाबत घोषणा

उपस्थित अभिभाषकगण

1. श्री योगेश झौरड़ अधिवक्ता – वादी
2. श्री तरसेम सिंह – प्रतिवादी संख्या 1 ता 2

इस प्रकरण में संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण द्वारा दिनांक 17.08.2020 को एक वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. ए. के तहत विरुद्ध प्रतिवादीगण इस कदर पेश किया कि :–

1. यह कि प्रतिवादी सख्या 1 के नाम चक 12 एलएलडब्लयू तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 179/54 के पत्थर नम्बर 116/225 (12) किला नम्बर 6, 11/.038, 12 ता 19, 22/.228, 23 ता 25, पत्थर नम्बर 117/325 मुरब्बा नम्बर 13 किला नम्बर 21 कुल किता 15 क्षेत्रफल 3.555 हैक्टेयर कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

प्रमाणित प्रतिलिपी [illegible] है जो वाद का आधार है।

2. यह कि दफा 3 में वाद [illegible] प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज है, जो कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा [illegible] परिवार के उत्थान के लिए वादी एंव प्रतिवादी सख्या 1 के मध्य बंटवारा किया हुआ [illegible] संख्या 1 द्वारा संयुक्त परिवार में अपने नाम दर्ज कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार [illegible] लिए वादी के हक व हिस्सा की कृषि भूमि एंव प्रतिवादीगण का घरु बंटवारा किया हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 एंव वादी के हक व हिस्सा एंव घराघरू बंटवारा निम्न है :–

क) यह कि वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 12 एलएलडब्लयू की कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा कृषि भूमि काश्त हेतु [illegible]

ख) यह कि शेष भूमि प्रतिवादी [illegible] पास काश्त हेतु रखी हुई है एंव प्रतिवादी सख्या 2 ने अपने हक व हिस्सा [illegible] है।

3. यह कि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 परस्पर ही एक ही परिवार के सदस्य है एंव संयुक्त हिन्दू परिवार के उत्थान के लिए संयुक्त रहते हुए वादी को प्राप्त प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि घराघुरु बंटवारे में से [illegible] हिस्सा [illegible] कृषि भूमि का बंटवारा कर वादी का सौप दिया है जो दफा 4 में वर्णित है। घराघरु बंटवारा एंव वादी के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का बंटवारा कर लिया गया एंव दफा 4 में वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण सींव व रकबा [illegible] को लेकर विवाद रहता है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ

Web Copy - Not Official

मिलान किया

प्रमाणित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

Scanned with CamScanner

4. यह कि वादी इस आशय की घोषणा फरमाई जाने के अधिकारी है कि वाद पत्र की दफा 4 के मुताबिक घराघरू बंटवारा एंव वादी के हक व हिस्सा में प्राप्त कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार है।
5. यह कि वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को निवेदन कर वाद पत्र की दफा 4 में वर्णित घराघरू बंटवारे एंव वादी के हक व हिस्सा की कृषि भूमि के अनुसार वादी के नाम उक्त कृषि भूमि को दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करने का निवेदन किया तो प्रतिवादी ने ऐसा करने से इंकार कर दिया। यही वाद कारण है।
6. यह कि प्रतिवादी संख्या 03 तहसीलदार को भू–धारक होने के कारण वाद में पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है, लेकिन उनके विरूद्व किसी प्रकार को कोई अनुतोष नहीं चाहा है। इन्हे मात्र इस कारण पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है, ताकि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश एंव डिक्री की पालना सुनिश्चित की जा सके।
7. यह कि वाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, कि वाद वादी के विरूद्व प्रतिवादी निम्नलिखित तरीका पर डिक्री फरमाया जावे :–

(क) कि वादी घोषणा फरमाई जावे कि वाद पत्र की दफा 4 के मुताबिक वादी के हक व हिस्सा एंव घराघरू बंटवारा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक 12 एलएलडब्लयू तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 179/54 के पत्थर नम्बर 116/225 (12) किला नम्बर 6, 11/.038, 12 ता 19, 22/228, 23 ता 25, पत्थर नम्बर 117/325 मुरब्बा नम्बर 13 किला नम्बर 21 कुल किता 15 क्षेत्रफल 3.555 हैक्टेयर कृषि भूमि में से वादी 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है एंव इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

(ख) कि खर्चा मुकदमा प्रतिवादीगण्डा से वादी को दिलाया जावें।

(ग) कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादी को प्रदान करना उचित समझे, दिलवाया जावें।

इस प्रकार से वाद पत्र पेश होने पर वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तल्ब किया गया। दिनांक 18.09.2020 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 की और से अधिकवक्ता श्री सन्दीप कांजला द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। एंव वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 स्वय हाजिर आकर राजीनामा मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। वादी की पहचान अधिवक्ता श्री योगेश झौरड़ सहारण तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 की पहचान अधिकवक्ता श्री सन्दीप कांजला द्वारा किये जाने पर वाद तस्दीक राजीनामा शामिल मत्रावली किया गया। राजीनामा की तहरीर निम्नानुसार है :–

1. यह कि पक्षकारान संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है जो आपस में पिता, पुत्र, भाई वगैरा का सम्बन्ध है। पक्षकारान के रिश्तेदारो व भाई बन्धुओ ने मिलकर पक्षकारान का आपस में राजीनामा करवा दिया है ताकि एक परिवार के लोगो में आपसी स्नेह तथा भाईचारा बना रहे तथा एक परिवार के लोगो को मुकदमेंबाजी से बचाया जा सके और लोक अदालत की भावना से पक्षकारान ने मुताबिक घरेलू बंटवारा एंव हक व हिस्सा की कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक कृषि भूमि का निम्न प्रकार से घरेलू बंटवारा करने पर सहमत हुये है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक 12 एलएलडब्लयू तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 179/54 के पत्थर नम्बर 116/225 (12)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

किला नम्बर 6, 11/.038, 12 ता 19, 22/.228, 23 ता 25, पत्थर नम्बर 117/325 मुरब्बा नम्बर 13 किला नम्बर 21 कुल किता 15 क्षेत्रफल 3.555 हैक्टेयर कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में से वादी को चक 12 एलएलडब्लयू, तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 179/54 के पत्थर नम्बर 116/225 (12) किला नम्बर 6, 11/.038, 12 ता 17 कृषि भूमि काश्त हेतु दी हुई है, उसी अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 सहमत है एंव प्रतिवादी सख्या 2 ने अपने हक व हिस्सा का त्याग किया है।

2. यह कि प्रशनगत कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है। जिसके उपरोक्त घरेलू बंटवारा से वादी एंव प्रतिवादीगण सहमत है तथा प्रतिवादी सख्या 2 ने अपने हक व हिस्सा का तर्क अर्सा पूर्व से वादी व प्रतिवादी सख्या 1 के पक्ष में किया हुआ है। माननीय न्यायालय में प्रस्तुत राजीनामा के मुताबिक वादी एंव प्रतिवादीगण का घरेलू बंटवारा माना जाकर घोषणा की जाती है तो हम पक्षकारान वादी एंव प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही है।

3. यह कि प्रश्नगत कृषि भूमि के सम्बन्ध में राजीनामा की दफा 1 में अंकितानुसार घरेलू बंटवारा करने पर पक्षकारान की सहमति हुई है तथा पक्षकारान ने माननीय न्यायालय में प्रस्तुत राजीनामा को पढ, सुन व समझकर सही होना स्वीकार किया है तथा सभी पक्षकारान ने उक्त राजीनामा को अपनी स्वतंत्र इच्छा व सहमति से बिना किसी दबाव व बहकावे के अपने स्वतंत्र व स्वच्छ मन से स्वीकार किया जाकर तहरीर व तस्दीक करवाया है।

अतः राजीनामा पश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का राजीनामा स्वीकार किया जाकर राजीनामा में वर्णितानुसार मुताबिक घरेलू बंटवारा राजीनामा की दफा 2 के अनुसार प्रतिवादी सख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि में वादी को चक 12 एलएलडब्लयू, तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 179/54 के पत्थर नम्बर 116/225 (12) किला नम्बर 6, 11/.088, 12 ता 17 का खातेदार काश्तकार घोषित कर वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने का आदेश फरमाया।

प्रतिवादी संख्या 3 स्टैट जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ ने अपने जबाब में मद संख्या 1, 2, 4 ता 7 ज्ञान के अभाव में अस्वीकार है, मद संख्या 3 को रिकार्डड व 8, 9 को कानूनी बताया। जबाव के अन्त में लिखा है कि राज्य सरकार के हित को ध्यान में रखते हुए वाद वादी डिक्री किया जावे।

उभय पक्ष के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं होने की सुरत में वकुलाऐ फरिकेन की बहस सुन गई। दौराने बहस वकुलाऐ फरिकेन वादी व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत तथ्यो दोहराया व राजीनामा के अनुसार वाद वादी डिकी किये जाने का निवेदन किया।

इस संबंध में राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवन्यू) अधिनियम 1955 के नियम व आदेश 12 नियम 6 व आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिकी किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप –6) विभाग जयपुर के पत्रांक प. 5 (1) राज./6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषको में जोत के विभाजन की सहमति हो जाये तो ऐसी सहमति के आधार पर डिकी की जा सकती है व हिन्दू उत्तराधिकारी विधि के अनुसार उत्तराधिकारीयो का पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है, की रूलिंगो का अवलोकन किया गया। इन रूलिंगो के अनुसार भी पुत्र अपने पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का खातेदार की घोषणा करवा सकता है।

हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया/वादी एंव प्रतिवादीगण की और से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। वाद अवलोकन पाया कि वाद में वर्णित भूमि उभय पक्ष

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

प्रमाणित प्रति

उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned with CamScanner

द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार जददी जायदाद है। अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः इस वाद में वादी व प्रतिवादीगण के आपसी समझौते के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की चक 12 [illegible] तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 179/54 के पत्थर नम्बर 116/225 (12) किला नम्बर [illegible] 18 ता 19, 22/228, 23 ता 25, पत्थर नम्बर 117/325 मुरब्बा नम्बर 13 किला नम्बर 21 [illegible] 5 क्षेत्रफल 3.555 हैक्टेयर कृषि भूमि में से वादी को चक 12 एलएलडब्ल्यू [illegible] के खाता संख्या 179/54 के पत्थर नम्बर 116/225 (12) किला नम्बर 6, [illegible] कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष भूमि प्रतिवादी संख्या [illegible] रहेगी।

तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भारमुक्त होने की दशा [illegible] रिकार्ड में अकंन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा [illegible]) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जा[illegible] अपना वहन करेंगे। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे पत्रावली निर्णय [illegible] दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक [illegible] को मेरे द्वारा लिखाया गया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील यादव)

उपखण्ड अधिकारी एंव
[illegible] सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़।

प्रमाणित प्रतिलिपि

मिलान किया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner